

अल्पकालिक निविदा सूचना


कार्य जिनके नक्शे अथवा रेखाचित्र तैयार किए जाते हैं (उ0प्र0 सरकार)

पुलिस लाइन फाउण्डेशन में निम्न कार्यों के लिए शील्ड बन्द निविदा दिनांक - - - 2018 को आमंत्रित की जाती है। कद निम्नलिखित के ऊपर कार्य का नाम व पत्रावली संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

क्र0	कार्य का नाम	पत्रावली संख्या
1	ब्लॉक नं0 06 के 06 बारजे में मरम्मत एवं लोहे की रैलिंग मग पॉली शीट एवं पीछे के दोनों बारजे का चौड़ीकरण कर विशेष मरम्मत एवं पीछे की दीवाल के प्लारटर की मरम्मत व बाहरी दीवाल की रंगाई पुताई।	बी-79/2018
2	ब्लॉक नं0 07 के 08 बारजे में लोहे की रैलिंग मग पॉली शीट एवं पीछे के दोनों बारजे का चौड़ीकरण कर विशेष मरम्मत एवं पीछे की दीवाल के प्लारटर की मरम्मत व बाहरी दीवाल की रंगाई पुताई।	बी-79/2018(1)
3	ब्लॉक नं0 08 के 05 बारजे में लोहे की रैलिंग मग पॉली शीट एवं पीछे के दोनों बारजे का चौड़ीकरण कर विशेष मरम्मत एवं पीछे की दीवाल के प्लारटर की मरम्मत व बाहरी दीवाल की रंगाई पुताई।	बी-79/2018(11)
4	ब्लॉक नं0 09 के 08 बारजे में लोहे की रैलिंग मग पॉली शीट एवं पीछे के दोनों बारजे का चौड़ीकरण कर विशेष मरम्मत एवं पीछे की दीवाल के प्लारटर की मरम्मत व बाहरी दीवाल की रंगाई पुताई।	बी-79/2018(11)

- नक्शे तथा निर्धारित रेखाएं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे के मध्य देखे जा सकते हैं।
- उक्त कार्य के लिए शील्ड मोहर बन्द लिफाफे में रखकर जिस पर निविदा शब्द लिखा हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 2018 को दोपहर 12.00 बजे तक अनिवार्य रूप से दे दिए जाएं। प्रत्येक कार्य की निविदा अलग-अलग होगी।
- टेण्डर पत्रे हुए निर्धारित फार्म पर होना अनिवार्य है। टेण्डर फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे के मध्य रूपएं-100.00 प्रति फार्म नकद जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
- टेण्डर फार्म में टेण्डर की घनराशि साफ-साफ अंकित होनी चाहिए तथा पीडब्लूडी की दरों से अधिक/कम दरों पर भी दी जानी चाहिए, जो की गई नुद्धि अथवा घाटा/क्षति किए गए कार्यों के लिए भुगतान देने को तैयार हैं। इन शर्तों को पूरा न करने पर टेण्डर अस्वीकृत हो जाएगा।
- प्रत्येक कार्य के टेण्डर के साथ 01 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी नकद लगाया जाना अनिवार्य होगा। टेण्डर के साथ चेक लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही ऐसे टेण्डर स्वीकार किए जाएंगे। बिना अर्नेस्ट मनी के कोई भी टेण्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उक्त व्यक्ति को जिसका टेण्डर अस्वीकृत रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा, ठेका बन्धक प्रपत्र पर हस्ताक्षर पर बुलाए जाने पर पत्र पाठित के 02 दिवस के अन्दर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा न करने पर उस ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी और टेण्डर निरस्त कर दिया जाएगा।
- टेण्डर अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10-12-2018 को उसके कार्यालय में दोपहर 02.00 बजे खोला जाएगा। ठेकेदार/टेण्डरदाता उपलब्ध रहेंगे।
- उक्त व्यक्ति को जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जाएगा, एग्जिक्ट के लिए बुलाए जाने पर 03 दिवस के अन्दर अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। हस्ताक्षर न करने पर उसकी रकम जब्त कर ली जाएगी एवं टेण्डर रद्द कर दिया जाएगा।
- यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसका टेण्डर स्वीकृत रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित तिथि से नगर प्राण्य कर प्राण्य के अनुसार मूणवत्तापूर्वक निम्नत समय सीमा में ही पूर्ण करेगा। समय से कार्य पूर्ण न करने की दशा में रकमा 5000 प्रतिदिन की दर से जुर्माना अदा करना होगा।
- जिन्ही कर एवं अन्य करों की कटौती नियमानुसार निविदा की घनराशि से की जाएगी।
- स्थापनीय रकमा 125 प्रति दस हजार की दर से देय होगी।
- पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नॉन जुडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा कार्यदेश प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- निविदा किसी भी प्रकार की शर्त पर स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही कटौती पर विचार किया जाएगा।
- निविदा देने वाले ठेकेदार अनुभवी एवं उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत हों।
- संस्कार अनुभव टेण्डर स्वीकृत करने के लिए अथवा किसी टेण्डर को अस्वीकार करने के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है और न ही कोई कारण स्पष्ट करेगा।
- अंतिम रूप से टेण्डर स्वीकृत किए जाने पर ठेकेदार को अनुबन्ध पत्र के साथ टेण्डर घनराशि का 10 प्रतिशत जमानत नकद/एनएफएम/अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से प्लेज्ड के रूप में जमा करना होगा, देय होगी।

पत्र संख्या बी 79/2018
दिनांक 11-11-2018


 पुलिस अधीक्षक,
 प्रतापमढ़।

- प्रतिनिधि निम्नलिखित क्रम में सादर सूचनाएं-
1. नगर पुलिस महानिदेशक, भवन एवं कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
 2. नगर पुलिस महानिदेशक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।